2020 का विधेयक संख्यांक 100

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित किया जाना ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन ।
5. विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव ।
6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।
8. विश्वविद्यालय की अधिकारिता ।
9. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।
10. विद्यार्थियों का प्रवेश ।
11. विश्वविद्यालय में अध्यापन ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

12. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।
13. कुलाधिपति ।
14. सभा ।
15. शासी बोर्ड ।
16. शासी बोर्ड की शक्तियां ।
17. शासी बोर्ड के सदस्यों की पदावधि ।
18. विद्या परिषद् ।
19. विद्या परिषद् की शक्तियां ।
20. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।
21. कुलपति ।
22. कुलपति की शक्तियां ।
23. कैंपस निदेशक ।

खंड

24. संकायाध्यक्ष ।
25. कार्यपालक कुलसचिव ।
26. वित्त अधिकारी ।
27. अन्य अधिकारी ।
28. वित्त समिति ।
29. वित्त समिति की शक्तियां ।
30. सहबद्धता और मान्यता बोर्ड ।
31. विश्वविद्यालय कै अन्य अधिकारी ।
32. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान ।

अध्याय 4

लेखा और संपरीक्षा

34. विश्वविद्यालय आधारभूत निधि ।
35. निधि ।
36. लेखा और संपरीक्षा ।
37. पेंशन और भविष्य निधियां ।

अध्याय 5

वार्षिक रिपोर्ट और नियुक्तियां

38. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट ।
39. विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति ।

अध्याय 6

परिनियम और अध्यादेश

40. परिनियम ।
41. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे ।
42. अध्यादेश ।
43. अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ।

अध्याय 7

माध्यस्थम अधिकरण

44. माध्यस्थम अधिकरण ।
45. छात्रों के विरूद्ध परीक्षा और आनुशासनिक कार्रवाई से विवर्जन के लिए प्रतितोष ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

46. प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।
47. शासी बोर्ड से संबंधित विषयों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति ।
48. अधिनियमों और कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य होना ।

खंड

49. विश्वविद्यालय का, सूचना के अधिकार के अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना ।
50. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
51. केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।
52. अवशिष्ट उपबंध ।
53. नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।
54. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
55. संक्रमणकालीन उपबंध ।
56. 2008 के गुजरात अधिनियम संख्यांक 17 का निरसन ।

2020 का विधेयक संख्यांक 100

[दि नेशनल फोरेंसिक साइंसस यूनिवर्सिटी बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक संस्था को अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने तथा अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, अपराध विज्ञान तथा अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों में और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्ता की संस्था स्थापित और घोषित करने तथा उससे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित किया जाना ।

2. राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के उद्देश्य वे हैं, जो उसे राष्ट्रीय महत्ता की संस्था बनाते हैं, यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्ता की एक संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से धारा 18 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से शिक्षक और ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं, जो परिनियमों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं ;

(ग) "संबद्ध महाविद्यालय" से शासी बोर्ड द्वारा इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अनुसार उस रूप में मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(घ) "शासी बोर्ड" से धारा 15 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "परिसर" से गांधी नगर, गुजरात स्थित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी और रोहिणी, नई दिल्ली स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान का परिसर या ऐसे अन्य परिसर, जो विश्वविद्यालय द्वारा भारत में या भारत से बाहर स्थापित किए जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(च) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(छ) "महाविद्यालय" से न्यायालयिक विज्ञान या संबंधित विधाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है ;

(ज) "सभा" से विश्वविद्यालय की धारा 14 में निर्दिष्ट सभा अभिप्रेत है ;

(झ) "संकायाध्यक्ष" से किसी विद्यापीठ परिसर के संबंध में ऐसे विद्यापीठ परिसर का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ञ) "विभाग" से विश्वविद्यालय का कोई शैक्षणिक विभाग अभिप्रेत है ;

(ट) "सुदूर शिक्षा प्रणाली" से संचार के किन्हीं साधनों जैसे प्रसारण, दूरदर्शन-प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम या ऐसे दो या अधिक साधनों के संयोजन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना अभिप्रेत है ;

(ठ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक, अन्य शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारिवृंद भी हैं ;

(ड) "कार्यपालक कुलसचिव" से विश्वविद्यालय का धारा 25 में निर्दिष्ट कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(ढ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की धारा 28 में निर्दिष्ट वित्त समिति

अभिप्रेत है ;

(ण) "निधि" से विश्वविद्यालय की धारा 35 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है ;

(त) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(थ) "विद्यापीठ" से विश्वविद्यालय की अध्ययन विद्यापीठ अभिप्रेत है ;

(द) "परिनियम" और "अध्यादेश" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए क्रमश: परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ;

(ध) "विद्यार्थी" से विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थी अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जिसे विश्वविद्यालय में कोई अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए अभ्यावेशित किया गया है ;

(न) "शिक्षक" से निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो शिक्षण देने या अनुसंधान संचालित करने या अनुसंधान में सहायता प्रदान करने या विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किए जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(प) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(फ) "कुलपति" से धारा 21 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय की स्थापना

2008 का 17

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन ।

4. (1) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 के अधीन स्थापित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में होगा ।

(4) विश्वविद्यालय के परिसरों में गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली स्थित परिसर और अन्य परिसर, जैसा केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्मिलित होंगे ।

(5) प्रथम कुलाधिपति, कुलपति, शासी बोर्ड, विद्या परिषद्, निदेशक, संकायाध्यक्ष, कार्यपालक कुलसचिव और सभी अन्य व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बन जाते हैं, जब तक वह ऐसा पद या सदस्यता धारण करना जारी रखते हैं,

विश्वविद्यालय होंगे ।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(क) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात या लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी निर्देश का अर्थान्वयन विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा ;

(ख) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, उपाधियां और प्रदत्त अन्य शैक्षिक उपाधियां, डिप्लोमा तथा दिए गए प्रमाणपत्र, अनुदत्त विशेषाधिकार या की गई अन्य चीजों को जहां तक उनका संबंध गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर से है, को इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन और सिवाय जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित है, क्रमश: किया गया, जारी किया गया, प्रदत्त किया गया, दिया गया, अनुदत्त या किया गया समझा जाएगा और जब तक उनका अधिक्रमण इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नहीं कर दिया जाता है ; 2008 का 17

(ग) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधीनगर को गुजरात सरकार द्वारा अनुदत्त "उत्कृष्टता केंद्र" और "सामरिक या सुरक्षा संबंधित हित संस्थान" तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधीनगर को "स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के लिए उत्कृष्टता केंद्र" की प्रास्थिति विश्वविद्यालय को लागू होगी ;

(घ) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की या उससे संबंधित जंगम और स्थावर संपत्तियां विश्वविद्यालय में निहित होंगी ;

(ङ) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सभी अधिकार, ऋण और अन्य दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार, ऋण और दायित्व होंगे ;

(च) ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में उसी पदावधि, उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबंधन और शर्तों तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के लिए पद धारण करेगा या सेवा करता रहेगा जैसा वह तब करता जब यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और वह ऐसा करना तब तक जारी रखेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या तब तक जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यकत: परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, जो ऐसे कर्मचारी की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है :

परंतु गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कुल सचिव और अन्य अधिकारियों के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में किसी निर्देश का अर्थान्वयन विश्वविद्यालय के कार्यपालक कुलसचिव या अन्य अधिकारियों के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(छ) इस अधिनियम के लागू होने के समय गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर में शैक्षिक या गैर-शैक्षिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति के लिए चल रहे किसी कार्यकलाप को विधिमान्य समझा जाएगा और ऐसी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए आगे कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और इस अधिनियम के लागू होने के समय के प्रक्रम से जारी रखी जाएगी ;

(ज) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर में इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व किसी शैक्षिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम या अध्ययन पाठ्यक्रम को करने वाला प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रारंभ पर विश्वविद्यालय को प्रवास किया गया और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और विश्वविद्यालय में ऐसे शैक्षिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम और अध्ययन कार्यक्रम को करना जारी रखेगा ;

(झ) लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इस अधिनियम के प्रारंभ पर कोई शैक्षिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली में नामांकन और संबद्धता के अधीन अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को जारी रखेगा और वह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन करेगा और ऐसे पाठ्यक्रमों और अध्ययन कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें उपाधियां प्रदान करेगा ;

(ञ) सभी वाद और विधिक कार्यवाहियां गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर या लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व संस्थित की गई हैं या संस्थित की जा सकती हैं, विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहेंगी या संस्थित की जा सकेगी ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

6. विश्वविद्यालय के—

(i) अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, विधिक अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य आनुषंगिक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, कौशल-विकास, अनुसंधान और उक्त क्षेत्रों में उभरते हुए क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के साथ विस्तार कार्य है, के साथ मिलकर शैक्षिक शिक्षण और पद्धतियों को सुकर बनाना और संवर्धन करना, जिससे देश में अपराधिक न्याय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जा सके ;

(ii) न्यायालयिक विज्ञान में अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुप्रयोगों, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, विधिक अध्ययन में अनुसंधान को बढ़ावा देना और अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को नवप्रवर्तन और सर्वोत्तम पद्धतियों के विकास के लिए प्रशिक्षण ;

(iii) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान विधि, विधिक अध्ययन और अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी में उन्नत सांस्थानिक और अनुसंधान सुविधाओं का संवर्धन करना और उपलब्ध कराना ;

(iv) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन और अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर देश में और देश से बाहर अभिरूचि, कौशल और ज्ञान का विकास करने के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान में वैश्विक स्तर की क्षमताओं और सक्षमताओं का सृजन ;

(v) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान विधि, विधिक अध्ययन, न्यायालयिक विज्ञान और अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित सहायता अनुदान द्वारा परियोजनाओं तथा अनुसंधान के माध्यम से अन्वेषण, अपराध का पता लगाना और निवारण ;

(vi) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन, न्यायालयिक विज्ञान और अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सुसंगत नीतियों की विरचना, जिसके अंतर्गत उनका पुनर्विलोकन भी है, में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को परामर्श देना और सहायता करना ;

(vii) न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन, न्यायालयिक विज्ञान और अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकी का शिक्षण और अनुसंधान कार्य का विभिन्न पहलों के माध्यम से संवर्धन करने के लिए ऐसी संस्थाओं से समन्वय करना और नेटवर्क करना, जिनकी विशेषज्ञता है ;

(viii) देश में देश से बाहर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय के ऐसे आफसाइट परिसर और अपतट केंद्रों का प्रशासन, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा स्थापना करना ;

(ix) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित करने, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का उपबंध करने और देश में न्यायालयिक विज्ञान कार्य में उपयोग किए जाने के लिए न्यायालयिक विज्ञान उपस्कर और कीटों की विशिष्टियां अधिकथित करने में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सहायता करना ;

(x) न्यायालयिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा और डिजीटल न्यायालयिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंध के क्षेत्रों में अद्यतन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के लिए परिसरों, महाविद्यालयों, विद्यापीठों, उत्कृष्ट केंद्रों और संस्थाओं की स्थापना करना ;

(xi) आपराधिक अन्वेषण, जिसके अंतर्गत अंगुली छाप, ध्वनि, डियोक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल (डीएनए) अग्न्यायुध, कूटकृत करेंसी, स्वाप्क औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों, साइबर सुरक्षा, साइबर रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा है, के आपराधिक अन्वेषण के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान डाटाबेस का सृजन और अनुरक्षण करने के लिए केंद्रीय सरकार की सहायता करना ;

(xii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए विशेष परियोजनाएं हाथ में लेना ; और

(xiii) कोई अन्य उद्देश्य, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, हाथ में लेना,

उद्देश्य हैं ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।

7. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) न्यायालयिक विज्ञान अध्ययन और संबंधित प्रौद्योगिकियों के उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ न्यायालयिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, विधि, विधिक अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों में अध्ययन, प्रशिक्षण, कौशल-विकास, अनुसंधान और कार्य विस्तार का उपबंध ;

(ख) देश में और देश से बाहर परिसरों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों, विभागों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अनुसंधान केंद्रों, प्रशिक्षण, कौशल विकास, अनुसंधान और विशेषज्ञ अध्ययन की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों, जैसे विहित अध्ययन पाठ्यक्रमों या कौशल विकास की योजना और विहित करना ;

(घ) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षिक, विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना ;

(ङ) मानद उपाधियां या अन्य सम्मान प्रदत्त करना ;

(च) मूल्यांकन या किसी अन्य परीक्षण विधि के अधीन रहते हुए ऐसी शर्तों, जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, के अधीन डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अनुदत्त करना और ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को सही और पर्याप्त कारण से वापस लेना ;

(छ) ऐसे व्यक्तियों को जैसा वह अवधारित करे, सुदूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना ;

(ज) सेमेस्टर प्रणाली, सतत मूल्यांकन और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली लाने और अन्य विश्वविद्यलयों और शैक्षिक संस्थाओं के साथ क्रेडिट अंतरण और संयुक्त उपाधि कार्यक्रमों के लिए करार में प्रविष्ट होना ;

(झ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, ऐसे करार करना ;

(ञ) अनुसंधान के लिए परियोजनाएं हाथ में लेने तथा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए विशेष कार्य करने के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करना ;

(ट) विद्यार्थियों, किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय से अनुदेश और अन्य सेवाओं, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, परामर्श और सलाहकारी सेवाएं हैं, जो विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती हैं, के लिए फीस और अन्य प्रभारों, जैसा विश्वविद्यालय ठीक समझे, का अवधारण, विनिर्दिष्ट करना और संदाय प्राप्त करना ;

(ठ) किसी अन्य स्थान पर विश्वविद्यालय भवनों, हालों, छात्रवासों और अन्य परिसरों की विश्वविद्यालय के लिए स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध ;

(ड) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा विश्वविद्यालय अवधारण करे, के लिए

महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को संबद्ध करना और ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण और निवास का नियंत्रण तथा अनुशासन का विनियमन और उनके स्वास्थ्य, साधारण कल्याण, संस्कृति और निगमित जीवन का संवर्धन करने के लिए प्रबंध करना ;

(ण) शैक्षिक और अन्य शिक्षक पदों का सृजन और उन पर नियुक्तियां करना (सिवाय कुलाधिपति और कुलपति के पदों के) जैसा अनुदेश प्रदान करने और विश्वविद्यालय के कार्य के प्रबंधन के लिए आवश्यक हों ;

(त) अभ्यागत प्राचार्य, मानद आचार्य, सलाहकारों, विद्वानों, जिसके अंतर्गत देश में या देश से बाहर अवस्थित हैं, की और ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जो विश्वविद्यालय को अग्रसर करने में योगदान दे सकें कि संविदा पर या अन्यथा नियुक्ति करना ;

(थ) विश्वविद्यालय में गैर-शैक्षिक, प्रशासनिक, अनुसचीवीय और अन्य पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति करना ;

(द) शैक्षिक या अन्य संस्थाओं और संगठनों, पब्लिक और प्राइवेट, जिसके अंतर्गत देश से बाहर स्थित भी हैं, जिनके विश्वविद्यालय के सदृश पूर्णतया या भागत: लक्ष्य हैं, के साथ शिक्षकों और विद्वानों के विनिमय द्वारा और साधारणतया ऐसी रीति में, जो उनके समान उद्देश्यों के अनुरूप हों, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना ;

(ध) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ;

(न) अनुदेशक सामग्री, जिसके अंतर्गत संबंधी साफ्टवेयर और अन्य श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है, तैयार करना का उपबंध करना ;

(प) विश्वविद्यालय की कोर प्रतिबद्धता के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रायोजित करना और उसके लिए उपबंध करना ;

(फ) संविदाओं में प्रविष्ट होना, पूरा करना, उनमें फेरफार करना या रद्द करना ;

(ब) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना, जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(भ) व्यक्तियों से उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और उनके नाम से ऐसी चेयर, संस्थाओं, भवनों और सदृश का नामकरण करना, जिनके दान और संदान उसके लायक हों, जैसा कि विश्वविद्यालय विनिश्चय करे ;

(म) कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर अर्जित करना, धृत करना, प्रबंध करना और निपटान करना, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं ;

(य) मानार्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्योग का सहयोग लेने के लिए उपाय आरंभ करना ;

(यक) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और लक्ष्यों को अग्रसर करने के लिए जब कभी आवश्यक समझा जाए, देश से बाहर किसी स्थान पर अब तक परिसर स्थापित

करना ;

(यख) अनुसंधान और अन्य कार्य के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन का उपबंध करना ;

(यग) विद्यार्थियों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों का नियंत्रण और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने का उपबंध करना तथा ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार-संहिता है ;

(यघ) अपराधों के अन्वेषण, निवारण और पता लगाने तथा ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण अनुसंधान और परामर्श के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हासिल करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणालियों को अग्रसर करने के क्षेत्र के संबंध में विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रबंध के क्षेत्र में नूतन प्रयोग संचालित करना और नई विधियों और प्रौद्योगिकियों का विकास करना ;

(यङ) संस्थान में और उसके संबद्ध केंद्रों तथा संस्थाओं में अखिल भारतीय आधार पर ऐसी रीति में, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाए, पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश देना ;

(यच) विदेशी विद्यार्थियों, भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति, अप्रवासी भारतीयों, खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों को, ऐसी रीति में जो परिनियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्रवेश देना ;

(यछ) किसी भूमि या भवन या संकर्म का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो ठीक और उचित प्रतीत हों, क्रय करना या पट्टे पर लेना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो तथा ऐसे किन्हीं भवनों या संकर्म का संनिर्माण, फेरफार या अनुरक्षण ;

(यज) विश्वविद्यालय की सभी या किन्हीं संपत्तियों और आस्तियों के आधार पर या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर या बंधपत्रों पर, बंधक रखने पर, वचनपत्र या अन्य बाध्यता पर या बिना किन्हीं प्रतिभूतियों के और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, धन इकठ्ठा करना और उधार लेना तथा विश्वविद्यालयों की निधियों में से धन इकठ्ठा करने से संबंधित आनुषंगिक सभी व्ययों का संदाय करना, शासी बोर्ड से पूर्व अनुज्ञा लेने के पश्चात् उधार लिए गए किसी धन का पुनर्संदाय या वापस लेना ;

(यझ) ऐसी प्रतिभूतियों में या उन पर विश्वविद्यालयों की निधियों का विनिधान और समय-समय पर किसी विनिधान का ऐसी रीति में, जो विश्वविद्यालय के हित में उचित समझी जाए, पक्षान्तरण ; और

(यञ) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय किसी भी रीति में किसी स्थावर संपत्ति का केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना व्ययन नहीं करेगा ।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता ।

8. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।

9. (1) विश्वविद्यालय किसी भी लिंग, मूलवंश, जाति, पंथ, दिव्यांगता, अधिवास, जातियता, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हुए भी सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी संपत्ति की वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें शासी बोर्ड की राय में शर्तें या बाध्यताएं अंतर्वलित हैं, जो इस धारा की भावना और उद्देश्यों के प्रतिकूल है ।

(3) विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व प्रकटित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से मूल्यांकन के आधार पर मेरिट के माध्यम से दिया जाएगा :

परंतु विश्वविद्यालय, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए एक केंद्रीय शिक्षा संस्था होगा । 2007 का 5

विद्यार्थियों का प्रवेश ।

10. (1) विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय चरित्र और अध्यापन और अनुसंधान के ऊंचे मानदंड बनाए रखने का प्रयास रहेगा ।

(2) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर ऐसी रीति में दिया जाएगा, जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

विश्वविद्यालय में अध्यापन ।

11. विश्वविद्यालय और उसके परिसरों या संबद्ध महाविद्यालयों में संपूर्ण अध्यापन विश्वविद्यालय के नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

12. निम्नलिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति ;

(ख) सभा ;

(ग) शासी बोर्ड ;

(घ) विद्या परिषद् ;

(ङ) संबद्धता और मान्यता बोर्ड ;

(च) वित्त समिति ; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अधिकथित किए जाएं ।

कुलाधिपति ।

13. (1) केंद्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकार के परामर्श से, जैसा वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा किसी विख्यात व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कुलाधिपति अपने पद के कारण विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा और वह उपाधियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता

करेगा ।

(3) कुलाधिपति किसी विख्यात व्यक्ति या विख्यात व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के कार्यों के संबंध में विश्वविद्यालय को परामर्श देने के लिए, जैसा वह और जब वह उचित समझे, आमंत्रित कर सकेगा ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति कोई निरीक्षण या जांच का आदेश कर सकेगा या करेगा यदि वह उचित समझे ।

(5) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जैसा परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए ।

सभा ।

14. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की सभा का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) सभा के सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकार के परामर्श से विख्यात व्यक्तियों में से, जिसके अंतर्गत न्यायालयिक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, आपराधिक न्याय, विधि परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्रों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) सभा के सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाए ।

(4) कुलपति सभा का संयोजक होगा ।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) समय-समय पर विश्वविद्यालय की बृहत्त नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय में सुधार और विकास के उपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट और ऐसे लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।

(6) सभा वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगी ।

शासी बोर्ड ।

15. (1) विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति - अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य, पदेन ;

(ग) गृह मंत्रालय, भारत सरकार का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक प्रतिनिधि - सदस्य, पदेन ;

(घ) गृह विभाग, गुजरात सरकार का सचिव के रैंक से अन्यून का एक अधिकारी - सदस्य, पदेन ;

(ङ) गुजरात उच्च न्यायालय का महारजिस्ट्रार - सदस्य, पदेन ;

(च) निदेशक-सह-मुख्य अपराध विज्ञान वैज्ञानिक, अपराध विज्ञान सेवा निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य, पदेन ;

(छ) न्यायालयिक विज्ञान, विधि, प्रवर्तन, अपराध विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान ओषध और भेषजी के क्षेत्रों में से चयन किए जाने वाले पांच व्यक्ति, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकारों के परामर्श से, जो वह ठीक समझे, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(ज) विश्वविद्यालय के सभी परिसर निदेशक - सदस्य, पदेन ।

(2) कार्यपालक रजिस्ट्रार बोर्ड का सचिव होगा ।

(3) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या परिनियमों द्वारा सौंपे जाएं ।

शासी बोर्ड की शक्तियां ।

16. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए शासी बोर्ड विश्वविद्यालय के साधारण अधीक्षण, निदेश और मामलों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और वह सिवाय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में अन्यथा उपबंधित के विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे विद्या परिषद् और वित्त समिति तथा अन्य समितियों या विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कृत्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करेगा ;

(ii) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम आरंभ करेगा ;

(iii) परिनियम बनाएगा ;

(iv) परिनियमों का उपांतरण या उन्हें रद्द करेगा ;

(v) विश्वविद्यालय में पदों का सृजन करेगा और शैक्षिक के साथ-साथ अन्य पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए वेतन ढांचा और अन्य शर्तों और निबंधनों का अवधारण करेगा ;

(vi) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और बजट आकलनों पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विचार करेगा और संकल्प पारित करेगा ;

(vii) विश्वविद्यालय के धन और निधियों का विनिधान करेगा तथा वित्त समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय करेगा ;

(viii) अध्ययनों, आलेखों, पुस्तकों, आवधिक पत्रों, रिपोर्टों और अन्य साहित्य का समय-समय पर प्रकाशन करेगा या प्रकाशन का वित्तपोषण करेगा उनका विक्रय करेगा या विक्रय का प्रबंध करेगा, जैसा वह ठीक समझे ;

(ix) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी समितियों की नियुक्ति करेगा, जैसा वह ठीक समझे ;

(x) परिसर निदेशकों की नियुक्ति करेगा ;

(xi) संबद्धता और मान्यता प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर विचार करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ;

(xii) अपनी किन्हीं शक्तियों का निदेशकों, संकायाध्यक्षों, कार्यपालक रजिस्ट्रार

या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्योजन करेगा ; और

(xiii) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसकें अधीन या तदधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे प्रदत्त किए जाएं या उसे उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(3) शासी बोर्ड वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगा और शासी बोर्ड की बैठकों के लिए कम से कम छह सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति होगी ।

शासी बोर्ड के सदस्यों की पदावधि ।

17. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन शासी बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

(2) शासी बोर्ड का नामनिर्दिष्ट सदस्य अगली पदावधि के लिए पुन: नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा ।

(3) शासी बोर्ड का नामनिर्दिष्ट सदस्य अपने पद से अध्यक्ष को संबोधित लिखित हस्ताक्षरित संबोधन द्वारा त्याग-पत्र दे सकेगा और उसका त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा ।

(4) शासी बोर्ड के पदेन सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करते हैं, जिसके कारण वह सदस्य हैं ।

विद्या परिषद् ।

18. (1) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) कुलपति - अध्यक्ष, पदेन ;

(ii) शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो शिक्षाविद् या वृत्तिक - सदस्य ;

(iii) न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में से शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो शिक्षाविद् या वृत्तिक - सदस्य ;

(iv) निदेशक-सह-मुख्य न्यायालयिक विज्ञान वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, - सदस्य पदेन ;

(v) परिसर निदेशक - सदस्य, पदेन ;

(vi) विद्यापीठ की प्रत्येक विधा से एक संकायाध्यक्ष या आचार्य या सहबद्ध आचार्य, जिनको कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य, पदेन ;

(vii) संबंधित क्षेत्रों में से उद्योग या औद्योगिक निकायों के दो प्रतिनिधि, जिनको शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ।

(2) कार्यपालक रजिस्ट्रार परिषद् का सचिव होगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ii), खंड (iii), खंड (vi) और खंड (vii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और सदस्य अगली पदावधि के लिए पुन: नामनिर्दिष्ट

किए जाने के पात्र होंगे ।

विद्या परिषद् की शक्तियां ।

19. इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों को विनिर्दिष्ट करना और विश्वविद्यालय में अनुदेश, शिक्षा और मूल्यांकन के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(ii) स्वयं की पहल पर या विश्वविद्यालय के संकाय या शासी बोर्ड के निर्देश पर साधारण शैक्षिक हित के विषयों पर विचार करना और उनके लिए समुचित कार्रवाई करना ;

(iii) शासी बोर्ड को बोर्ड द्वारा संबद्धता और मान्यता देने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में पुनर्विलोकन करना और सिफारिश करना ;

(iv) अध्या देश बनाना ;

(v) शासी बोर्ड को संस्थान के शैक्षिक कार्यकरण के संबंध में, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का अनुशासन भी है, के संबंध में अधिनियम से सुसंगत परिनियम बनाने की सिफारिश करना ; और

(vi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाए या उसे अधिरोपित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(क) कुलपति ;

(ख) कैंपस निदेशक ;

(ग) संकाय अध्यक्ष ;

(घ) कार्यकारी कुल सचिव ; और

(ङ) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के अधिकारी होने के लिए परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

कुलपति ।

21. (1) केंद्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकारों से, जो वह ठीक समझे, परामर्श करके अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा, यदि वह—

(i) न्यायिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो ;

(ii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर दांडिक न्याय के प्रशासन विकास संबंधी विषयों, शिक्षा, लोकोपकारक, औद्योगिक या कारबार विकास या केंद्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं, निगमों या लोक निकायों में प्रशासन से सहबद्ध हो ।

(3) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और किसी अन्य अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(4) कुलपति की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं ।

(5) कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ।

कुलपति की शक्तियां ।

22. (1) कुलपति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, उपस्कर और प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी संस्था या केंद्र का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण, किए गए अनुसंधान और अन्य संकर्मों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, निरीक्षण कराने या पुनर्विलोकन कराने तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन, शैक्षणिक कार्यकलापों तथा वित्त से संबंधित किसी विषय की बाबत वैसी ही रीति में जांच कराने की शक्ति होगी ।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, कुलपति,—

(i) शासी बोर्ड, शैक्षणिक परिषद् बोर्ड, सहबद्धता और मान्यता और वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ;

(ii) विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्राचार्य और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों पर साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ;

(iii) विश्वविद्यालय में अनुदेश देने और अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा ;

(iv) शासी बोर्ड को वार्षिक रिपोर्टें और लेखें प्रस्तुत करेगा ;

(v) यह सुनिश्चित करेगा की शासी बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाते हैं ;

(vi) उसकी अपनी शक्तियों में कुछ शक्तियों को, शासी बोर्ड को सूचित करते हुए, अधीनस्थों में से किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी ;

(vii) अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान अपने कृत्यों का पालन करवाने के लिए विश्वविद्यालय का निदेशक नामनिर्देशित करेगा ;

(viii) सरकार के नियमों के प्रयोजनों के लिए, जहां तक विश्वविद्यालय के कारबार को संचालित करने के लिए ऐसी अतिरिक्त शक्ति के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर शासी बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाए, वे लागू होते हैं या लागू किए जाएं, भारत सरकार के सचिव की सभी वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी ;

(ix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेशों के द्वारा या उसके अधीन समनुदेशित की जाएं या शासी बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं ।

(3) यदि कुलपति का पद किसी कारणवश रिक्त रहता है तो कुलाधिपति इसके लिए स्वतंत्र होगा कि वह विश्वविद्यालय के लिए सेवा में किसी ज्येष्ठ नियमित आचार्य को या धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित अर्हता रखने वाले किसी अन्य समुचित व्यक्ति को ऐसी रिक्ति के दौरान कुलपति की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग

करने के लिए प्राधिकृत करे ।

(4) जहां ऐसा कोई विषय अत्यावश्यक प्रकृति का है जिसमें तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है और जिस पर कार्रवाई करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय द्वारा तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती, वहां कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और उसके द्वारा इस प्रकार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत विश्वविद्यालय के ऐसे प्राधिकारी या निकाय को देगा जो या जिसने सामान्य अनुक्रम में इस विषय पर कार्रवाई की हो :

परंतु यदि ऐसे प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो वह मामले को शासी बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा या उसे ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे. बातिल कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और तदुपरि कार्रवाई प्रभावहीन हो जाएगी या, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगी और ऐसे उपांतरण या बातलीकरण का कुलपति के आदेश के द्वारा या उसके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) जहां उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अंतर्वलित है, वहां ऐसी नियुक्ति की पुष्टि इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अनुसार कुलपति के आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए सशक्त विश्वविद्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, अन्यथा ऐसी नियुक्ति कुलपति के आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगी ।

कैंपस निदेशक ।

23. (1) विश्वविद्यालय के कैंपस निदेशकों की नियुक्ति, शासी बोर्ड के अनुमोदन से, कुलपति द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं, की जाएगी ।

(2) कैंपस निदेशक विश्वविद्यालय के कैंपस के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य कार्य-कलापों का प्रबंध करने में कुलपति की सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं या कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे जाएं ।

संकायाध्यक्ष ।

24. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, की जाएगी ।

(2) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की विद्यापीठों के शैक्षणिक और अन्य कार्यकलापों का प्रबंध करने में कुलपति, कार्यपालक कुलसचिव और संबंधित कैंपस निदेशकों की सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कृत्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं, जो कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे जाएं ।

कार्यपालक कुलसचिव ।

25. (1) कार्यपालक कुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, की जाएगी ।

(2) कार्यपालक कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संपतियों की

अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा ;

(ii) शासी बोर्ड और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी सभी जानकारी और दस्तावेज रखेगा जो इसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हों ;

(iii) कुलपति के प्रति अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(iv) विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए और परीक्षाएं संचालित करने तथा उनके लिए सभी अन्य आवश्यक इंतजाम करने के लिए उत्तरदायी होगा और उनसे संबंधित सभी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(v) विश्वविद्यालय की ओर से सभी दस्तावेजों को अनुप्रमाणित और निष्पादित करेगा ;

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध सभी वादों और अन्य विधिक कार्रवाइयों में सभी अभिवचनों का सत्यापन करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसे वादों और कार्रवाइयों में सभी आदेशिकाएं कार्यपालक कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी ;

(vii) शासी बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति और ऐसी समितियां, जो शासी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के सचिव के रूप में कार्य करेगा ;

(viii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियमों में अधिकथित किए जाएं या कुलपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

वित्त अधिकारी ।

26. वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी उपलब्धियों पर तथा सेवा के ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

अन्य अधिकारी ।

27. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, रीति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य वे होंगे, जो अधिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

वित्त समिति ।

28. (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) शासी बोर्ड के दो सदस्य, जिनमें से एक सदस्य पदेन सदस्य होगा जिसे शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ग) सभी कैंपस निदेशक ;

(घ) वित्त के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जो शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ) विश्वविद्यालय की किसी भी एक विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, जो चक्रानुक्रम में, शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) कार्यपालक कुलसचिव, वित्त समिति का सचिव होगा ।

(3) खंड (ख), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी और उक्त सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे ।

वित्त समिति की शक्तियां ।

29. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, वित्त समिति, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी,

अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक बजट प्राक्कलनों की समीक्षा करना और उनके बारे में शासी बोर्ड को सलाह देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय नीतिगत विषयों पर शासी बोर्ड को सिफारिश करना ;

(घ) निधियों को उधार लेने, प्राप्तियों और व्ययों को अंतर्वलित करने वाले सभी प्रस्तावों पर शासी बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(ङ) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उपबंध करना ;

(च) ऐसे व्यय को अंतर्वलित करने वाले सभी प्रस्तावों पर शासी बोर्ड को सिफारिशें करना जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया है या जिसके लिए बजट में उपबंधित रकम से अधिक व्यय उपगत किया जाना आवश्यक है ;

(छ) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उन्नयन और उन मदों, जिन्हें शासी बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है, से संबंधित सभी प्रस्तावों की समीक्षा करना ; और

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

सहबद्धता और मान्यता बोर्ड ।

30. (1) सहबद्धता और मान्यता बोर्ड महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को देने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(2) सहबद्धता और मान्यता के लिए बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी ।

31. शासी बोर्ड, परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों या अधिकारियों को घोषित कर सकेगा और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

32. केंद्रीय सरकार, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, इस निमित्त संसद् द्वारा, विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय को ऐसी धनराशि, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, संदत्त कर सकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान ।

33. विश्वविद्यालय किसी राज्य सरकार से ऐसी धनराशियों को अनुदान सहायता के रूप में या एक मुश्त अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकेगा ।

अध्याय 4

लेखा और संपरीक्षा

विश्वविद्यालय आधारभूत निधि ।

34. विश्वविद्यालय, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त कर सकेगा या अपनी निधियों को विश्वविद्यालय के आधारभूत निधि को बनाए रखने और प्रचालित करने के लिए उपयोग कर सकेगा ।

निधि।

35. (1) विश्वविद्यालय, एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी धन ;

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सभी धन ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी फीसें तथा अन्य प्रभार ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों अथवा अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धन ;

(ङ) आधारभूत निधि से प्राप्त सभी हित या कोई अन्य ऐसे उपार्जन ;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा ली गई कोई उधार ;

(छ) विश्वविद्यालय और ऐसे उद्योग के बीच किए गए समझौता ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनानुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय की अध्येतावृत्ति या अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धन ; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन ।

(2) विश्वविद्यालय की निधि में जमा किए गए सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा जो विश्वविद्यालय, वित्त समिति के अनुमोदन से विनिश्चित करे ।

(3) विश्वविद्यालय की निधि को विश्वविद्यालय के व्ययों, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपगत व्यय भी है, के मद्दे उपयोजित किया जाएगा ।

लेखा और संपरीक्षा।

36. (1) विश्वविद्यालय उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलन पत्र भी है, ऐसे प्ररूप में तथा लेखांकन मानक तैयार करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के, उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे, विशिष्टतया, बहियां, लेखे, संबंधित बाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और विश्वविद्यालय के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय के यथा प्रमाणित लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

पेंशन और भविष्य निधियां ।

37. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित कर सकेगा या ऐसी बीमा स्कीम का उपबंध कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई भविष्य निधि गठित की गई है, वहां केंद्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो । 1925 का 19

अध्याय 5

वार्षिक रिपोर्ट और नियुक्तियां

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट ।

38. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय और उसके द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान के परिणाम आधारित मूल्यांकन होंगे और इसे ऐसी तारीख को या इससे पूर्व, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, शासी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और शासी बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में इस पर विचार करेगा ।

(2) शासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी ।

(3) कुलपति, प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास की समाप्ति पर या उससे पहले, पूर्ववर्ती वर्ष में विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट, अंग्रेजी और हिंदी में तैयार करेगा और उसे जारी करेगा तथा उसकी एक प्रति पूर्ववर्ती वर्ष की आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं की एक संपरीक्षित विवरणी के साथ उस नियत समय के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी तथा उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति ।

39. कुलपति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी—

(क) शासी बोर्ड, यदि, यथास्थिति, नियुक्ति सहायक आचार्य या उससे ऊपर के पद पर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में की जाती है या यदि नियुक्ति समूह 'क' के किसी समतुल्य पर या उससे ऊपर के पद पर गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में की जाती है ;

(ख) किसी अन्य मामले में, कुलपति द्वारा ।

अध्याय 6

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम ।

40. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य

निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां ;

(घ) देश के भीतर या देश के बाहर से विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को आरंभ करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति की रीति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि के उपबंध तथा सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत ;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा शासी बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को सहबद्धता प्रदान करना ;

(ट) विद्यापीठों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति ;

(ठ) सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किया जाना ;

(ड) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का वापस लिया जाना ;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा कैंपसों और सहबद्ध महाविद्यालयों का प्रबंध ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ; और

(थ) ऐसी सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे ।

41. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, शासी बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उनके बनाए जाने के शीघ्र पश्चात् रखी जाएगी :

परंतु जब तक ऐसे परिनियम नहीं बना दिए जाते हैं, तब तक गुजरात न्यायालयिक विश्वविद्यालय, गांधी नगर के विद्यमान विनियम लागू होते रहेंगे :

परंतु यह और कि जब तक विश्वविद्यालय के दिल्ली कैंपस के प्रशासनिक कार्यकरण के लिए परिनियम नहीं बना दिए जाते हैं, तब तक दिल्ली कैंपस में कृत्य उसी ही रीति में किए जाते रहेंगे, जैसे कि उनका वर्तमान में लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक संस्थान द्वारा पालन किया जा रहा है ।

(2) शासी बोर्ड, समय-समय पर, ऐसे नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा :

परंतु शासी बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम का संशोधन या निरसन तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में कोई राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर शासी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार किसी ऐसे विषय, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगी ।

(4) परिनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों या उनमें से किसी परिनियम को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है किंतु ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव किसी परिनियम को नहीं दिया जाएगा जिससे कि ऐसे किसी व्यक्ति, जिसको ऐसा परिनियम लागू हो, के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके ।

अध्यादेश ।

42. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लामाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें और संस्थन ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य हैं ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों और उनके लिए विशेष अध्यय पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट करना ;

(ञ) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ट) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य ;

(ठ) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करना ; और

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ।

43. (1) इस धारा में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यादेश शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश करे किंतु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, यथाशीघ्र, शासी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और शासी बोर्ड द्वारा उस पर अपने ठीक उत्तरवर्ती अधिवेशन में विचार किया जाएगा ।

(3) शासी बोर्ड को ऐसे किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से तद्नुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

अध्याय 7

माध्यस्थम अधिकरण

माध्यस्थम अधिकरण ।

44. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच हुई संविदा के कारण उद्भूत होने वाले किसी विवाद को, कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम अधिकरण को, जिसमें शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक हो, निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) माध्यस्थम अधिकरण का उद्देश्य अंतिम होगा और उक्त अधिकरण द्वारा विनिश्चित किए गए विषयों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का लाभ लेने से प्रवारित नहीं करेगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ के अंदर इस धारा के निबंधनानुसार माध्यस्थम को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा ।

1996 का 26

(5) माध्यस्थम अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों में अधिकथित की जाएगी ।

छात्रों के विरूद्ध परीक्षा और आनुशासनिक कार्रवाई से विवर्जन के लिए प्रतितोष ।

45. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति के आदेश या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेश की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, शासी बोर्ड को अपील कर सकेगा और शासी बोर्ड, कुलपति के विनिश्चय को, यथास्थिति, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरूद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 44 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होंगे ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।

46. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्ति किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला शासी निकाय को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

शासी बोर्ड से संबंधित विषयों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति ।

47. (1) केंद्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, शासी बोर्ड से संबंधित प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) शासी बोर्ड के सदस्यों में से रिक्तियों को भरे जाने की रीति ;

(ख) शासी बोर्ड के सदस्य चुने जाने के लिए और उसका सदस्य होने के लिए निर्रहताएं ;

(ग) वे परिस्थितियां, जिनमें और वह प्राधिकार, जिसके द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकेगा ;

(घ) शासी बोर्ड के अधिवेशन और कारबार संचालन की प्रक्रिया ;

(ङ) शासी बोर्ड के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ; और

(च) वह रीति, जिसमें शासी बोर्ड के कृत्यों का प्रयोग किया जा सकेगा ।

अधिनियमों और कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य होना ।

48. शासी बोर्ड या इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन स्थापित किसी अन्य निकाय की कोई कार्रवाई केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणागुन पर प्रभाव नहीं डालती है ।

2005 का 22

49. विश्वविद्यालय को सूचना का अधिकार, 2005 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई लोक प्राधिकारी हो ।

विश्वविद्यालय का, सूचना के अधिकार के अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना ।

50. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों या किए गए अध्यादेशों के उपबंधों में किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होंगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

51. (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्धकर होगा, जो केंद्रीय सरकार, लिखित में समय-समय पर दे ।

केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

(2) इस बारे में कि क्या प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

52. (1) शासी बोर्ड को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय पर, और जिन पर इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की गई है, कार्रवाई करने प्राधिकार होगा ।

अवशिष्ट उपबंध ।

(2) ऐसे सभी विषयों पर शासी बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा ।

53. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके बनाए या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, परिनियम, अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, परिनियम, अध्यादेश निष्प्रभाव हो जाएगा/अधिसूचना निष्प्रभावी हो जाएगी । किंतु उस नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

55. इस अधिनियम में और तद्धीन बनाए गए परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर का विद्यमान महानिदेशक केंद्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ;

(ख) जब तक विश्वविद्यालय ऐसे प्राधिकारियों या समितियों का गठन नहीं कर देता है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपेक्षित हों, गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर में, यथास्थिति, विद्यमान समिति या बोर्ड, अपनी संबंधित भूमिकाओं का तब तक प्रयोग करता रहेगा, जब तक शासी बोर्ड अवधारित न करे ;

(ग) लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान के वर्तमान निदेशक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के दिल्ली कैंपस के लिए कैंपस निदेशक के रूप में तब तक के लिए की जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय द्वारा नियमित निदेशक की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है ;

(घ) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गांधी नगर के विद्यमान कुलसचिव की नियुक्ति, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के प्रथम कार्यकारी रजिस्ट्रार के रूप में तब तक के लिए की जाएगी, जब तक शासी बोर्ड अवधारित नहीं कर देता है ।

2008 के गुजरात अधिनियम संख्यांक 17 का निरसन ।

56. (1) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदान की गई डिग्रियां, अन्य विद्या संबंधी उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा प्रमाणपत्र, अनुदत्त विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किए गए, प्रदान किए गए या की गई क्रमशः समझी जाएंगी और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन अन्यथा उपबंधित रूप में तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी, जब तक उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है ; और

(ख) अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए चयन समिति या किसी अन्य प्राधिकारी की सभी कार्रवाइयां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की गई थीं और ऐसी चयन समिति या प्राधिकारी की सिफारिशों, यदि कोई हों, के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों की सभी कार्रवाइयां, जहां नियुक्ति के कोई आदेश, उनके आधार पर नियुक्ति के कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित नहीं किए गए थे, इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा उपांतरित कर दी गई है, विधिमान्य समझी जाएंगी किंतु ऐसे लंबित चयनों के संबंध में अगली कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उस प्रक्रम से जारी की जाएगी, जहां वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थीं, सिवाय इसके यदि, संबंधित प्राधिकारी इस पर प्रतिकूल विनिश्चय करते हैं ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आपराधिक न्याय में समग्र रूप से वह समस्त प्रक्रियाएं आती हैं, जिनके माध्यम से अपराध का अन्वेषण किया जाता है, अपराधियों की पहचान की जाती है और पकड़ा जाता है, उनका निर्णय किया जाता है, दंड दिया जाता है और अपराध व्यसन को रोकने के उपाय किए जाते हैं । न्यायालयिक विज्ञान, अपराध विज्ञान और अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, आपराधिक अन्वेषण और अपराधों का निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं । यद्यपि, अनेक राज्यों में, न्यायालयिक प्रसुविधाओं में मशीनरी और उपस्कर का संवर्धन उपापन के माध्यम से किया जाता है किन्तु आपराधिक अन्वेषण में उपयोग के लिए प्रशिक्षित और अर्हित जनशक्ति की उपलब्धता नहीं होती है । इस क्षेत्र में प्रतिभा को आकृष्ट करने के लिए शैक्षिक ज्ञान, व्यवसायिक कौशल और राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित उन्मुखता को एक साथ मिलाने की आवश्यकता है । इस कमी को दूर करने के लिए राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अर्थात् गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 और लोक नायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का उन्नयन करके राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्ता की एक संस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

3. प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, देश में आपराधिक अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने के लिए तथा देश में अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, अपराध विज्ञान और अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ मिलकर न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए है । यह अध्यापन, अनुसंधान और संबद्धता देने वाला विश्वविद्यालय होगा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संबद्ध कर सकेगा । शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालय न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्रों की भी स्थापना करेगा तथा इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का उपबंध करेगा ।

3. राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ—

(क) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना और उसे राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करना तथा उसके निगमन का उपबंध करने के लिए है ;

(ख) विश्वविद्यालय को उपाधियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां अनुदत्त करने के लिए सशक्त करने के लिए है ;

(ग) विश्वविद्यालय को प्रत्येक लिंग, मूलवंश, जाति, पंथ, दिव्यांगता, अधिवास, जातियता, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी व्यक्तियों के लिए खुला रखने के लिए है ;

(घ) कुलाधिपति, सभा, शासी बोर्ड, विद्या परिषद्, संबद्धता और मान्यता प्रदान करने के लिए बोर्ड, वित्त समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी होंगे, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अधिकथित किए जाएं, का उपबंध करने के लिए है ;

(ङ) यह उपबंध करने के लिए है कि विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड सामान्य

नीति बनाने, अधीक्षण, विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए निदेश और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का उपयोग करेगा, जिसके अंतर्गत विद्या परिषद् के कृत्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है ;

(च) विश्वविद्यालय को एक कुलपति, संकायाध्यक्ष, परिसर निदेशक, कार्यपालक रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य अधिकारी रखने के लिए, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं, सशक्त करता है ;

(छ) विश्वविद्यालय की निधि का अनुरक्षण करने के लिए उपबंध करता है ;

(ज) भारत के महालेखा नियंत्रण और परीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का उपबंध करता है ;

(झ) केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति करने के लिए सशक्त करता है ;

(ञ) यह उपबंध करता है कि विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा तथा किसी विद्यार्थी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उदभूत किसी विवाद का त्वरित निवारण करने के लिए एक माध्यस्थम् अधिकरण होगा ;

(ट) शासी बोर्ड को केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के पहले परिनियम की विरचना करने के लिए सशक्त करता है ;

(ठ) विद्या परिषद् को शैक्षिक विषयों के संबंध में अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करता है और इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश शासी बोर्ड के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ड) यह उपबंध करता है कि विश्वविद्यालय, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित एक लोक प्राधिकरण होगा ;

(ढ) प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी प्रत्येक अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का उपबंध करता है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
20 मार्च, 2020

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित किए जाने और उसके निगमन का उपबंध करने के लिए है ।

2. वार्षिक वित्तीय विवक्षा का प्राक्कलन 94.30 करोड़ रुपए है । इसमें से, 54.30 करोड़ रुपए का प्राक्कलित आवर्ती व्यय है और 40.00 करोड़ रुपए का प्राक्कलित अनावर्ती व्यय है ।

3. व्यय की पूर्ति, गृह मंत्रालय के अधीन बनाए गए बजटीय उपबंध के माध्यम से भारत की संचित निधि और विश्वविद्यालय के आंतरिक राजस्वों से की जाएगी ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 41, शासी बोर्ड को, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए और नए या अतिरिक्त परिनियम बनाने के लिए या उक्त परिनियमों का संशोधन या निरसन करने के लिए सशक्त करता है । विधेयक का खंड 42, ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में प्रस्तावित विधान के अधीन ऐसे परिनियम बनाए जा सकेंगे । ये विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ; (ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो सके ; (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां ; (घ) देश के भीतर या देश के बाहर से विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें ; (ङ) किसी संयुक्त परियोजना को आरंभ करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति की रीति ; (च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि के लिए उपबंध तथा सेवा-समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है ; (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत ; (ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया ; (झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा शासी बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया ; (ञ) विश्वविद्यालय के अधीन किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को सहबद्धता प्रदान करना ; (ट) विद्यापीठों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति ; (ठ) सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किया जाना ; (ड) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का वापस लिया जाना ; (ढ) विश्वविद्यालय द्वारा कैंपसों और सहबद्ध महाविद्यालयों का प्रबंध ; (ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ; (त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ; और (थ) कोई अन्य विषय, जो प्रस्तावित विधान के अधीन परिनियमों में अधिकथित किया जाना है या अधिकथित किया जाए, से संबंधित हैं ।

2. विधेयक का खंड 43 यह उपबंध करता है कि अध्यादेश शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे । विधेयक का खंड 42, ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में प्रस्तावित विधान के अधीन ऐसे अध्यादेश बनाए जा सकेंगे । ये विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन ; (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों

के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ; (ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ; (घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय ; (ङ) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लामाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस ; (च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें और उनका संस्थन ; (छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य भी हैं ; (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ; (झ) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट करना ; (ञ) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ; (ट) किसी भी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य ; (ठ) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करना ; और (ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जो प्रस्तावित विधान या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जाए, से संबंधित हैं ।

3. विधेयक का खंड 47, केंद्रीय सरकार को, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) उन विषयों को प्रगणित करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) शासी बोर्ड के सदस्यों में से रिक्तियों को भरे जाने की रीति ; (ख) शासी बोर्ड के सदस्य चुने जाने के लिए और उसका सदस्य होने के लिए निर्रहताएं ; (ग) वे परिस्थितियां, जिनमें और वह प्राधिकार, जिसके द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकेगा ; (घ) शासी बोर्ड के अधिवेशन और कारबार संचालन की प्रक्रिया ; (ङ) शासी बोर्ड के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ; और (च) वह रीति, जिसमें शासी बोर्ड के कृत्यों का प्रयोग किया जा सकेगा, सम्मिलित हैं ।

4. विधेयक का खंड 53, यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी अपेक्षित है ।

5. वे विषय, जिनके संबंध में नियम, परिनियम या अध्यादेश बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और इस प्रकार उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—6202LS(CRC)—20-03-2020.